पेय जलपूर्ति योजनाओं के निष्पादन के लिए भारत सरकार ने योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय की सलाह से केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम तैयार किया है इस कार्यक्रम में सभी समस्या-ग्रस्त ग्रामों को 6–7 वर्षों में शामिल कर लेने की व्यवस्था है ।

इस कार्यक्रम के अधीन राजस्थान तथा गुजरात राज्यों को वर्ष 1977–78 के दौरान क्रमश: 250 लाख तथा 260 लाख रुपये की धनराशि का नियतन किया गया है जिनमें निर्जन क्षेत्रों के समस्याग्रस्त ग्रामों की जलपूर्ति योजनाओं के निष्पादन के लिए क्रमश: 50 लाख तथा 30 लाख रुपये शामिल हैं ।

पशुओं की नस्ल में सुधार करने के लिए योजना

1709. श्री एस० एस० सोमानी :
श्री के० मालन्ना :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशुओं की नस्ल में सुधार करने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या एशिया पशु उत्पादन और स्वास्थ्य आयोग भी भारत को वित्तीय सहायता दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और यह किस रूप में दी जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

Delhi School Teachers Co-operative House Building Society, Delhi

1710. SHRI T. S. NEGI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Report of the Enquiry Officer appointed to look into the affairs of the Delhi School Teachers Cooperative House Building Society, Delhi, would be laid on the Table of the House and circulated to the M.Ps;

(b) whether some cases against the so-called Managing Committee which got elected during Emergency by the Registrar, Co-op. Societies, Delhi, in a challengeable manner are pending in the courts of Law in Delhi; if so, full details thereof and latest position of the cases;

(c) whether the so-called Managing Committee of the Society have enrolled many new persons as teacher members and non-teacher members of the Society after assuming office during emergency; and

(d) if so, their number separately?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Enquiries under the Bombay Cooperative Societies Act, 1925, as extended to the Union Territory of Delhi were held thrice viz. in 1963, 1966 and 1972.

The Hon'ble Member has not clarified which Report he is referring to;